2009:CGHC:10388-DB

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्र. 243/2004

इतवार सिंह उर्फ जगत सिंह

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारार्थ

हस्ताक्षरित

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

माननीय श्री राजीव गुप्ता

मैं सहमत हूँ

हस्ताक्षरित /-

मुख्य न्यायाधीश

निर्णय हेतु दिनांक: 29/06/2009 सूचीबद्ध

हस्ताक्षरित /-

26/06/2009

2009:CGHC:10388-DB

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्र. 243/2004

अपीलार्थी इतवार सिंह उर्फ जगत सिंह, पिता राम सिंह गोंड, आयु लगभग 27 वर्ष,

व्यवसाय - कृषक, निवास निवासी ग्राम बंधा खार, थाना कटघोरा, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छ. ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना पसान, ज़िला कोरबा (छ.ग.)

(धारा 374(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत अपील)

उपस्थिति:

अपीलकर्ता की ओर से श्री के.के. सिंह, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से श्री आशीष शुक्ला, शासकीय अधिवक्ता।

आदेश

(29.06.2009)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश के द्वारा सुनाया गया।

1. अपीलकर्ता इतवार सिंह उर्फ़ जगत सिंह, को चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर ने सत्र प्रकरण क्रमांक 481/2001 में आदेश दिनांक 29 दिसंबर, 2003 द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 450 और 302 के तहत सिद्धदोष किया गया है तथा उसके विरुद्ध 10 वर्ष के कठोर कारावास सहित 1,000/- के अर्थदंड तथा आजीवन कारावास सहित 1,000/- के अर्थदंड तथा दोनों अर्थदंड में व्यतिक्रम होने पर अतिरिक्त दंड का दंडादेश पारित किया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:

दिनांक 13.7.2001 को लगभग 17:00 बजे, इतवारिया बाई (अ.सा -2) ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/3) दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि दिनांक 12.7.2001 एवं 13.7.2001 की मध्य रात्रि को वह अपने दूसरे पति सीताराम गोंड (अब मृतक) के साथ अपने घर में सो रही थी। लगभग 12

बजे मध्यरात्रि में उसे कुछ आहट सुनाई दी। वह जाग गई और छोटे दीये (चिमनी) की रोशनी में देखा कि उसका पहला पति अर्थात् इतवार सिंह (अभियुक्त) हाथ में टंगिया लिए उसके कमरे से बाहर भाग रहा था। सीताराम खाट से नीचे गिर हुआ था और उसकी गर्दन पर धारदार चोट लगी थी। इतवारिया बाई (अ.सा-2) ने यह आरोप लगाया कि उसके पहले पति अर्थात् अपीलकर्ता ने उसके दूसरे पति की जान लेने का प्रयास गर्दन पर गंभीर चोट पहुँचाकर किया। उसने यह भी बताया कि उसने पूरी घटना की जानकारी देवसिंह, संतराम (अ.सा-4), अहिबारन सिंह (अ.सा-3) एवं हीरा सिंह (अ.सा-1) को दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उक्त रिपोर्ट के आधार पर, अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 450 एवं 307 के अंतर्गत अपराध पंजीकृत किया गया।

जाँच के दौरान मृतक सीताराम को चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेजा गया। उसका परीक्षण डॉ. जी.एस. जात्रा (अ.सा-8) ने किया, जिन्होंने एम.एल.सी. रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/7) तैयार की। उन्होंने पाया कि मृतक की गर्दन के बाएँ अग्र-पार्श्व भाग पर 4½ से.मी. × 1½ से.मी. का धारदार घाव क्षैतिज रूप से स्थित था, जिससे झाग निकल रही थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली के पश्च भाग पर 1 से.मी. × ½ से.मी. का एक और घाव पाया। गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्होंने रोगी को ईएनटी विशेषज्ञ के पास भर्ती एवं आगे के

उपचार हेतु भेजा। मृतक को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहाँ उपचार के दौरान दिनांक 21.7.2001 को उसकी मृत्यु हो गई।

विवेचना अधिकारी ने पंचों को नोटिस (प्रदर्श-पी/10 एवं पी/11) दिया और मृतक के शव का मृत्यु समीक्षा (प्रदर्श-पी/12) तैयार किया। मृतक का शवपरिक्षण हेतु प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, कोरबा भेजा गया, जहाँ डॉ. ए.डी. पुरेन (अ.सा-11) ने शव परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/9) तैयार की। उन्होंने मृतक की गर्दन पर उपर्युक्त बाहरी चोट को भी पाया। शव परीक्षणकर्ता ने यह मत व्यक्त किया कि मृत्यु का कारण गर्दन पर लगी मृत्यु पूर्व लगी चोट से उत्पन्न सेप्टीसीमिक शॉक था और यह मृत्यु मानववध प्रकृति की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आगे की जांच में, स्थल का नक्शा (प्रदर्श पी-5) तैयार किया गया। घटना स्थल से सादा मिट्टी, रक्त से रंजीत मिट्टी और मृतक की कमीज़ को जब्ती पत्रक (प्रदर्श पी-6) के माध्यम से जप्त किया गया ।

अपीलकर्ता को हिरासत में लेने के बाद, उसका मेमरैन्डम कथन (प्रदर्श पी-1) साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दिनांक 17.7.2001 को दर्ज की गई और उसी दिन उसके निशानदेही पर टँगिया हथियार प्रदर्श पी-2 के माध्यम से जप्त किया गया ।

सामान्य जाँच पूरी होने के पश्चात आरोपपत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कटघोरा की अदालत में प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात, प्रकरण को संबंधित सत्र न्यायालय में विचारार्थ भेजा गया, जहाँ से यह स्थानांतरण होकर चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के न्यायालय में आया। वहीं पर विचारण संपन्न हुआ और अभियुक्त/अपीलकर्ता को उपर्युक्तानुसार दोषसिद्ध कर दंडित किया गया।

3. अपीलकर्ता की दोषसिद्धि प्रत्यक्षदर्शी अ.सा इतवारिया बाई (अ.सा-2) के कथन पर आधारित है, जिसे हीरा सिंह (अ.सा-1), अहिबारन सिंह (अ.सा-3) एवं संतराम (अ.सा-4) के साक्ष्य द्वारा पुष्ट किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. श्री के.के. सिंह, अपीलकर्ता की ओर से प्रकटित प्रवर अधिवक्ता, ने मृतक की हत्या के तथ्य को अस्वीकार नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, अ.सा संख्या 2, इतुरिया बाई के बयान से यह प्रमाणित होता है कि उन्होंने अपीलकर्ता को मृतक पर हमला करते हुए देखा, जिससे मृतक को गर्दन पर चोट लगी। मृतक की चोट इतनी गंभीर थी कि वह बोल भी नहीं सका। पेशेवर चिकित्सकों ने माना कि यह एक गंभीर पूर्व-मृत्यु चोट थी, जिसने अंततः मृतक को सेप्टिसीमिक शॉक से ग्रस्त कर किया, जिसकी मृत्यु 21.7.2001 को हुई और मृत्यु का कारण हत्या से संबंधित था। अतः यह स्थापित हुआ कि मृतक की मृत्यु हत्या से हुई थी।

5. श्री के.के. सिंह ने तर्क दिया कि प्रवर सत्र न्यायाधीश ने इतुरिया बाई (अ.सा संख्या 2) के साक्ष्य की विधिसंगत समझ में त्रुटि की, जिन्हें इस मामले की अकेली आँखोंदेखी अ.सा माना गया है। यदि उनके साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन किया जाए, तो यह प्रतीत होता है कि उन्होंने कभी घटना को प्रत्यक्ष नहीं देखा बल्कि केवल अपने घर से किसी व्यक्ति को भागते हुए देखा, जो साक्ष्य भी अस्थिर और अविश्वसनीय है। हीरा सिंह (अ.सा संख्या 1), अहिबरन सिंह (अ.सा संख्या 3) और संत्राम (अ.सा संख्या 4) के संबंध में उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह अविश्वसनीय अ.सा हैं। उन्होंने तर्क दिया कि ये अ.सा मृतक के निकट संबंधी हैं, इसलिए वे स्वार्थी अ.सा हैं और उन्होंने अभियोजन पक्ष का समर्थन करने के लिए अदालत के समक्ष अपने विवरणों को बढ़ाचढ़ा कर प्रस्तुत किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. वहीं, श्री आशिष शुक्ला, प्रवर सरकारी अधिवक्ता, जो राज्य की ओर से प्रकट हुए, ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का समर्थन किया।

7. हमने पक्षकारों के प्रवर अधिवक्ताओं की पूरी व्याख्या सुनी है और सत्र न्यायालय के प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

8. जहां तक संबंधी गवाहों का प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने रिजन एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, रायपुर, **AIR** 2003 **S.C.**

976 के कंडिका 6 में यह भी निर्धारित किया है कि अ.सा का संबंध उसकी विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अधिकतर मामलों में, संबंधी वास्तविक दोषी को छिपाकर निर्दोष व्यक्ति पर आरोप लगाते नहीं हैं। यदि झूठे आरोप लगाने का दावा किया जाता है, तो उसका ठोस आधार प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। ऐसे मामलों में न्यायालय को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और यह जांच करनी चाहिए कि साक्ष्य तर्कसंगत और विश्वसनीय हैं या नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. ***<u>नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य में, 2007 AIR SCW 1835 में</u>***, सर्वोच्च न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि मृतक या अपराध के पीड़ित का रिश्ता रखने वाला गवाह हितबद्ध के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। हितबद्ध शब्द उस गवाह के लिए प्रयुक्त होता है जिसका अभियुक्त को किसी प्रकार से दोषी ठहराने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 'स्वार्थ' हो, चाहे वह वैर के कारण हो या किसी अन्य छिपे उद्देश्य से। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि करीबी रिश्तेदार को 'स्वार्थी' अ.सा नहीं माना जा सकता क्योंकि वह स्वाभाविक गवाह होता है। तथापि, उसके साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच आवश्यक होती है। यदि जांच में उसके साक्ष्य गुणात्मक रूप से विश्वसनीय, अंतनिहित रूप से संभावित और पूर्णतः विश्वासनीय पाए जाएं, तो ऐसे गवाह के 'एकमात्र' परीक्षण पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है।

मृतक या पीड़ित के प्रति गवाह का निकट संबंध उसके साक्ष्य को खारिज करने का आधार नहीं होता। इसके विपरीत, मृतक का करीबी रिश्ता आमतौर पर वास्तविक दोषी को छुपाकर निर्दोष व्यक्ति को झूठे आरोपों से बचाने का प्रयास करता है। ***सर्वोच्च न्यायालय ने हरबंस कौर एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य, 2005 AIR SCW 2074*** के मामले का भी संदर्भ दिया, जिसमें यह माना गया कि कानून में कोई धारणा नहीं है कि रिश्तेदारों को असत्यवादी अ.सा माना जाए। इसके विपरीत, पक्षपात का दावा उठाने पर यह दिखाना पड़ता है कि गवाहों के पास वास्तविक दोषी को बचाने और आरोपित को झूठा फंसाने का कोई कारण था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अतः, उपर्युक्त विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में, पीडब्ल्यू-2 इतवारिया बाई तथा अन्य तीन अ.सा अर्थात् हीरा सिंह (पीडब्ल्यू-1), अहिबारन सिंह (पीडब्ल्यू-3) और संतराम (पीडब्ल्यू-4), जो स्वयं को मृतक के संबंधी बताते हैं, के कथनों की सावधानीपूर्वक और सतर्कता से जाँच करना आवश्यक है। इस जाँच में सभी संभावनाओं, पूर्व कथनों तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर विचार करना होगा और यदि इस प्रकार की जाँच के उपरांत उनके कथन विश्वसनीय और भरोसेमंद पाए जाते हैं तो उनके साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है।

11. अब हम इन गवाहों के साक्ष्यों पर विचार करेंगे।

12. एफ.आई.आर. के अनुसार, इतवरिया बाई (अ.सा-2) मृतक पर हमला किए जाने की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं थीं। उन्होंने एफ.आई.आर. में उल्लेख किया कि जब वह शोर सुनकर उठीं, तो देखा कि मृतक कमरे के फर्श पर घायल अवस्था में पड़ा था और अभियुक्त इतवार सिंह गोंड अपने हाथ में टँगिया लिए कमरे से बाहर भाग रहा था। जबकि, न्यायालय में अपने साक्ष्य में उन्होंने कहा कि लगभग मध्यरात्रि 12-1 बजे उनके पूर्व पति टँगिया लेकर कमरे में आए और मृतक की गर्दन पर चोट पहुंचाई। इस चोट के कारण मृतक की श्वास-नली कट गई तथा खून व फेन निकलने लगे। जब अभियुक्त ने मृतक पर टँगिया से वार किया, तो उन्होंने शोर मचाया, जिस पर सन्तराम (अ.सा-4), हीरा सिंह (अ.सा-1) एवं अहीबरन (अ.सा-3) उनके घर आए। उन्होंने उन्हें सारी घटना बताई। अभियुक्त को पकड़ नहीं सके। उन्होंने आगे कहा कि अभियुक्त उनका पहला पति था, जिसने उन्हें छोड़ दिया था और वह पिछले 7 वर्षों से अपने मायके में रह रही थीं, जिसके बाद उन्होंने हाल ही में मृतक से विवाह किया था, जो उनके साथ रह रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि मृतक से विवाह के बाद से अभियुक्त उनसे शत्रुता रखने लगा था|

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. जिरह में, उन्होंने स्वीकार किया कि घटना से 9 वर्ष पूर्व उनकी शादी अभियुक्त से हुई थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि जिस कमरे में वह मृतक के साथ सो रही थीं, उसका आकार 10 **x** 17 फीट था और वह मृतक के पलंग से लगभग 3

हाथ की दूरी पर सो रही थीं तथा एक छोटी चिमनी लगभग 3 हाथ की दूरी पर रखी थी और वह जल रही थी। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि गांव में मिट्टी का तेल मिलना बहुत कठिन होता है और सामान्यतः गांववासी रात के भोजन के बाद चिमनी बुझा देते हैं या उसकी बत्ती धीमी कर देते हैं जिससे रोशनी कम हो जाती है और कम तेल खर्च होता है। उन्होंने जिरह के कंडिका-13 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि जब वह सोने गई थीं, उस समय चिमनी पूरी रोशनी के साथ नहीं जल रही थी और यह सच है कि चिमनी की रोशनी इतनी कम थी कि दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती थीं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वह वर्षा ऋतु की अमावस्या की रात थी। उन्होंने स्वीकार किया कि यह कहना सही होगा कि इतनी अंधकार था कि पास के व्यक्ति भी दिखाई नहीं देते थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि रात में बारिश हो रही थी और तेज़ हवा चल रही थी तथा ऐसी स्थिति में किसी छोटी चिमनी का जलते रहना संभव नहीं था|

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. आगे की जिरह में, उसे उसकी डायरी कथन (प्रदर्श-डी/2) के साथ सामना कराया गया। उसने दावा किया कि उसने पुलिस को बताया कि अभियुक्त इतवार सिंह ने अपने टँगिया से उसके पति की गर्दन पर वार किया था। यह प्रश्न इसलिए पूछा गया क्योंकि न्यायालय में उसने स्वयं को मृतक पर वास्तविक हमला का प्रत्यक्षदर्शी बताया था, जबकि डायरी कथन (प्रदर्श-डी/2) और एफ.आई.आर.

(प्रदर्श-पी/3) में उसने कहा था कि उसने अभियुक्त को अपने घर से टँगिया लेकर भागते देखा था और उक्त दस्तावेजों की सामग्री के परिणामस्वरूप यह पता चलता है कि उसने केवल यही कहा कि उसके पति पर अभियुक्त ने हमला किया। एफ.आई.आर. (प्रदर्श-पी/3) में यह लोप तथा केस डायरी कथन (प्रदर्श-डी/3) में भी यह महत्वपूर्ण लोप है, और इस अ.सा द्वारा की गई अतिशयोक्ति अभियोजन के लिए घातक है। मृतक पर चोट पहुँचाते हुए किसी व्यक्ति को वास्तव में हमला करते देखना और केवल किसी को हथियार लेकर घटनास्थल से भागते देखना तथा यह अनुमान लगाना कि उसने हमला किया होगा, दो भिन्न बातें हैं। इस अ.सा ने अपनी पिछली दो अलग-अलग स्तरों पर दी गई कथनों में सुधार करने की कोशिश की है, जो उसकी गवाही पर संदेह की छाया डालती है|

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. ऐकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी इतवरिया बाई (अ.सा-2) के साक्ष्य की और विवेचन के लिए अब अन्य गवाहों के साक्ष्य पर विचार किया जाएगा। हीरा सिंह (अ.सा-1) ने बयान दिया कि जब उसने शोर मचाना सुना, तो वह तुरंत अपने भाई के घर की ओर भागा और देखा कि अभियुक्त भाग रहा था। उसने अपने भतीजे (मृतक सीताराम) को घायल अवस्था में भी देखा। उसकी गर्दन पर चोट आई थी। सीताराम फर्श पर पड़ा था और चोट से खून रिस रहा था। उसने यह नहीं देखा कि अभियुक्त के हाथ में कोई हथियार था या नहीं। सीताराम बोलने में असमर्थ

था। जिरह में, कंडिका 6 के अनुसार, उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वह अभियुक्त (जो न्यायालय में उपस्थित है) को पहली बार देख रहा है और इससे पूर्व कभी नहीं देखा था। उसे अपनी डायरी कथन (प्रदर्श-डी/1) से भी सामना कराया गया। उसने स्वीकार किया कि उसने अपनी डायरी कथन में यह तथ्य नहीं लिखा कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने अभियुक्त सीताराम को मृतक के घर से बाहर आते और भागते देखा। इसके अतिरिक्त, उसने जिरह के कंडिका 10 और 13 में स्पष्ट स्वीकार किया कि जब वह कमरे में पहुंचा, तो इतवरिया बाई वहां मौजूद नहीं थीं क्योंकि वह अपने जेठ सन्तराम (अ.सा-4) के घर गई थीं, और उस समय चिमनी नहीं जल रही थी तथा कमरे में अंधकार था। यह अ.सा अपनी डायरी कथनों से विचलित है और इस कहानी का निर्माण किया है कि उसने अभियुक्त को मृतक के घर से बाहर आते और भागते देखा, जबकि उसकी डायरी कथन में केवल यह है कि इतवरिया बाई (अ.सा-2) ने उसे बताया था कि उसने अभियुक्त को अपने घर से भागते देखा। इसलिए इस अ.सा की गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता है|

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. अ.सा-3, अहीबरन सिंह ने बयान दिया कि जब वह मृतक के घर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति घर से बाहर आ रहा था। वह व्यक्ति की पहचान नहीं कर सके। उन्होंने यह भी नहीं देखा कि वह व्यक्ति अपने हाथ में कुछ लेकर था या

नहीं। अंधकार के कारण वह उसे पहचान न सके। उन्होंने इतवरिया बाई से पूछा, जिन्होंने बताया कि अभियुक्त इतवार सिंह ने सीताराम की हत्या की है। सीताराम को उसके भाई हीरा सिंह (अ.सा-1) अस्पताल ले गए। उन्होंने जिरह में यह भी स्वीकार किया कि जब वह इतवरिया बाई के घर पहुंचे, तो चारों ओर अंधेरा था और अंधकार के कारण वह घर में क्या है यह देख नहीं सके। इस अ.सा के साक्ष्य का नतीजा यह है कि वह व्यक्ति की पहचान नहीं करसका जो मृतक के घर से भाग रहा था, और घर तथा मृतक के कमरे में पूर्ण अंधकार था |

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. अ.सा-4, सन्तराम ने बयान दिया कि वह इतवरिया बाई की चिल्लाहट सुनकर घटनास्थल पर पहुँचे और देखा कि अभियुक्त इतवार सिंह मृतक के घर से बाहर आ रहा था। उन्होंने इतवरिया बाई से बातचीत की, जिन्होंने बताया कि इतवार सिंह घर से भाग रहा था और उसने उसकी पति की गर्दन पर चोट पहुंचाई थी। उन्होंने कमरे के अंदर जाकर मृतक सीताराम को फर्श पर पड़ा देखा। उसने से बात करने की सीताराम कोशिश किया परंतु सीताराम बोलने में असमर्थ था, सीताराम इशारों से कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने मृतक को पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन गर्दन पर लगी चोट के कारण वह पानी नहीं पी सका। पानी चोट से रिस रहा था और पेट तक नहीं पहुंच रहा था। आश्चर्य की बात यह है कि उनकी जिरह के पहले कंडिका में इस अ.सा ने स्पष्ट

स्वीकार किया कि वह अभियुक्त को पहली बार न्यायालय में देख रहा है, उसने पहले न कभी उससे मुलाकात की थी और न ही उसे देखा था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मृतक के घर अंधकार था और वस्तुएं दिखाई नहीं देती थीं। जिरह के कंडिका 6 में उन्होंने कहा कि उन्होंने न्यायालय में बयान इतवरिया बाई द्वारा दी गई सूचना के आधार पर दिया। उन्हें अपनी डायरी कथन (प्रदर्श-डी/3) का भी सामना कराया गया, जिसमें मृतक के घर से किसी व्यक्ति को भागते देखने से संबंधित तथ्य गायब हैं और यह पता चलता है कि घटना के बाद इतवरिया बाई उनके घर आईं और बताया कि अभियुक्त ने उसके पति पर हमला किया था और घर से भाग गया था। इसलिए इस अ.सा का साक्ष्य भी विश्वासनिय नहीं है |

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. लाल्लू मंजी एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य (2003) 2 **SCC** 401 में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि साक्ष्य के नियम के अनुसार किसी तथ्य के प्रमाण के लिए किसी विशेष संख्या में गवाहों को उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, जब केवल एक अ.सा की मौखिक गवाही पेश होती है, तो न्यायालय इसे तीन श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, अर्थात् (**i**) पूरी तरह विश्वसनीय, (**ii**) पूरी तरह अविश्वसनीय, और (**iii**) न पूरी तरह विश्वसनीय न पूरी तरह अविश्वसनीय। पहली दो श्रेणियों में एकल अ.सा की गवाही को स्वीकार या खारिज करने में कोई कठिनाई नहीं होती। समस्या तीसरी श्रेणी में उत्पन्न होती

है। न्यायालय को सतर्क रहना होता है और एकल अ.सा की गवाही पर कार्रवाई करने से पहले विश्वसनीय गवाही, चाहे प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, द्वारा मुख्य विवरणों की पुष्टि देखनी होती है |

19. यदि हम इतवरिया बाई (अ.सा-2) के साक्ष्य को उपर्युक्त तीन गवाहों के साक्ष्य के प्रकाश में देखें, तो हमें वह पूरी तरह विश्वसनीय नहीं लगतीं। मृतक पर वास्तविक हमला देखने की उनकी दावेदार गवाही अतिशयोक्ति प्रतीत होती है क्योंकि यह तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट और उनकी डायरी कथन (प्रदर्श-डी/2) में उल्लेखित नहीं है। विवेचन में यह स्पष्ट है कि उन्होंने अभियुक्त को मृतक पर हमला करते हुए कभी नहीं देखा। जहां तक अभियुक्त के हाथ में टँगिया लेकर मृतक के घर से भागने की कहानी है, वह भी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में संदिग्ध प्रतीत होती है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य पर विचार करने के बाद निष्कर्ष है कि या तो कमरे में पूरी तरह अंधकार था या चिमनी की रोशनी इतनी कम थी कि सामान्य व्यक्ति किसी की पहचान नहीं कर पाता। अ.सा-2 इतवरिया बाई के साक्ष्य के अनुसार, उसने अभियुक्त को लगभग छह हाथ (9-10 फीट) की दूरी से देखा था। ऐसे परिस्थितियों में इतनी दूरी से वह सही रूप से हमलावर की पहचान कर उसमे संदेह है। अतः हम इस गवाही को अभियुक्त की पहचान के संदर्भ में स्वीकार नहीं करते। वर्तमान मामला पहचान की गलती होना

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रतीत होता है और हमारी राय में इतवरिया बाई के इस प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती |

20. हम अभियोजन पक्ष के अन्य दोषों को भी उजागर करना चाहेंगे। यह स्वीकार किया गया है कि घटना दिनांक 12.07.2001 को हुई थी और अपराध भा.द.स की धारा 307 के तहत दर्ज किया गया था। मृतक के दिनांक 21.07.2001 को मृत्यु होने पर इसे धारा 302 में परिवर्तित किया गया। अभियुक्त का मेमोरैंडम बयान (प्रदर्श-पी/1) दिनांक 17.07.2001 को दर्ज किया गया, जिसके आधार पर उसी दिन टँगिया (प्रदर्श-पी/2) जब्त की गई। लेकिन दोनों दस्तावेजों में भा.द.स की धाराएँ 302 और 450 के रूप में उल्लेखित की गई हैं। जब दिनांक 17.07.2001 को मृतक जीवित था, तब इस दस्तावेज में धारा 302 कैसे उल्लेखित की गई? इस प्रश्न का उत्तर विवेचन अधिकारी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। यह अभियोजन के व्यवहार पर संदेह उत्पन्न करता है |

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. पूर्वोक्त कारणों से, हमारा मत है कि विद्वान सत्र न्यायधीश ने कानून के विपरीत उपर्युक्त गवाहों जो विश्वसनीय नहीं है साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की है। यह मामला इकलौती प्रत्यक्षदर्शी साक्षी इतवरिया बाई (अ.सा-2) द्वारा की गई पहचान की गलती प्रतीत होता है |

22. परिणाम स्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। अभियुक्त पर अधिरोपित दोषसिद्धि एँवं दंडादेश उपस्त की जाती है। उसे आरोपों से बरी किया जाता है। यह बताया गया है कि अभियुक्त दिनांक 17.07.2001 से जेल में है। यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं हो, तो उसे तुरंत रिहा किया जाए |

हस्ताक्षरित /-

मुख्य न्यायाधीश

हस्ताक्षरित /-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगाऔर कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

अस्वीकरण: विवेकानंद समद्दार द्वारा अनुवादित।